

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

विनीय कुमार

बनाम

हरपत आदि

दावा बाबत :- 88 Ract

मुकदमा नम्बर :- 124/2020

निर्णय दिनांक :- 13-12-2021

वादी की ओर से वकील वलकन्त सिंह की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील हनुमान खड्ग की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

श्री मोहन गुंजासरी के खाता सं० 5/5 के खाता सं० 8, 19/2, पान 73/1 कुल 12-86.50 है। वारिसी कृषि मूक्ति प्रतिवादी सं० 1 हरपत के नाम है। हरिस्सा राजस्व रिक्त में यही है। प्रतिवादी सं० 2 हरपत के बजार वादी विनीय कुमार व प्रतिवादी सं० 3 हरपत, प्रतिवादी सं० 2 मधुवीर, प्रतिवादी सं० 3 ओमप्रकाश, प्रतिवादी सं० 4 लोकेश कुमार का व हरिस्सा करावर के खातेदार का इतकार घोषित किया जा रहा है यदि कृषि मूक्ति बैंक के रकम है तो रकम मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिक्त में अन्तल दराभय किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(पिठिवि प्रभारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
प्र.गा. के संग अ.-2021
भादरा जिला हनुमानगढ़